नारी अदालत कार्यक्रम

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

भारत सरकार **[नारी अदालत कार्यक्रम]** का विस्तार करने के लिये अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है।

- **परिचय:** **[मिशन शक्ति]** की **'संबल'** उप-योजना के अंतर्गत **नारी अदालत,** ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिये एक **वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करती है, जो **बातचीत, मध्यस्थता और सुलह** के माध्यम से छोटे विवादों (जैसे, घरेलू हिंसा, दहेज, बाल हिरासत) को हल करती है।
- **संरचना और कार्यप्रणाली:**
  - **सदस्य:** इसमें **7 से 11 सदस्य** होते हैं जिन्हें **'न्याय सखी'** कहा जाता है, जिन्हें **[ग्राम पंचायत]** द्वारा नामित किया जाता है।
  - **कार्यान्वयन:** वर्ष 2023 में **असम और जम्मू-कश्मीर** में 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट आधार पर इसकी शुरुआत की जाएगी, तथा अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करने की योजना है।
- **मिशन शक्ति:** इसकी दो उप-योजनाएँ हैं।
  - **संबल:** [वन स्टॉप सेंटर (OSC)]**, महिला हेल्पलाइन,** [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)] **और नारी अदालत सहित महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।**
  - सामर्थ्य: [प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)], [पालना], शक्ति सदन, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण केंद्र सहित महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

और पढ़ें: **[मिशन शक्ति]**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nari-adalat-program